न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 74/2019/दावा

भूमिधारी (तहसीलदार) तहसील दांतारामगढ

– वादी

ब ना म

गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

उपस्थितिः

1. श्री भवानीसिह शेखावत वकील प्रतिवादी की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत शर्त भंग के कारण सिवायचक धोषित करने व बेदखली करने हेतु।

निर्णय

दिनांकः 14.09.2020

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ में कृषि भूमि कार्य हेतु प्रतिवादी की खातेदारी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.63 है0 किस्म चाही में से 0.47 है0 के रूप में अंकित है। खातेदार गोपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत सा0 देह। पटवारी हल्का खाटूश्यामजी से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन मे काम में लिया जार रहा है अर्थात कृषि भूमि पर कृषि कार्य न कर शर्त भंग की गयी है एवं भूमि क्षेत्र से बेदखल करने व सिवायक घोषित करने की आज्ञा पारित की जावें।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकील श्री भवानीसिह शेखावत उपस्थित हुए। उक्त वाद के संबंध में प्रतिवादी ने जबाब पेश किया कि ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादी/जबाबदाता की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा पैत्रिक कृषि भूमियां खं0नं0 2476 रकबा 0.63 है0 अवस्थित है। जिनको प्रतिवादी /जबावदावा अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार रहकर निरन्तर व निर्बाध रूप से समय से काबिज काश्तकार रहकर निरन्तर व निर्बाध रूप से आने उपयोग उपभोग में ले रहा है। उक्त भूमियों में प्रतिवादी/जबाबदाता ने फसल की सूरक्षार्थ पुख्ता चार दिवारी बनवाकर अपना ताला लगा रखा है। वादी/तहसीलदार दांतारामगढ ने अपने अधिनस्थ पटवारी हल्का खाटूश्यामजी से साजिस

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

का प्रतिवादी/जबाव की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि बाबत गलत मौका रिपोर्ट लेकर प्रतिवादी/जबाबदाता को हैरान व परेशान कर झूंठे मुकदमेबाजी के दबाव में लेकर अन्यथा प्रलोभन प्राप्त करने के आशय से यह वाद पत्र पेश किया गया है। जो तत्काल खारिज किये जाने योग्य है। वादी को प्रतिवादी/जबाबदाता की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा पैत्रिक कृषि भूमियों से बेदखल करवाने व उनको सिवाय चक घोषित करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी/जबाबदाता आज भी अपनी कृषि भूमियों पर काबिज काश्तकार रहकर फसल काश्त कर अपने उपयोग में ले रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तहसीलदार दांतरामगढ को बार–बार साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी वाद के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी तहसीलदार दांतारामगढ के द्वारा ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.63 है0 किस्म चाही में से 0.47 है0 कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में साबित करने में असफल रहने के कारण वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ